खाता खतौनी ज० वि० स० 1424 से 1429 फ० तक - ग्राम थाती पट्टी नैलचामी रा० उ० नि० क्षेत्र-ढेला-रा०नि०क्षे० डांगी
तहसील- घनसाली- जिला टिहरी गढ़वाल

भूलेख प्रपत्र सं० प--11

10/292	वर्ग 1(3)ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि—				10/292	1812	1.184
	उ० प्र० सरकार		2	0.010		1820	1.449
	वर्ग 1(3)ड़		6	0.011	आदेश 1427 फ०	1825	2.355
			8	0.212	जि० अ० महोदय टिहरी गढ़वाल	|	|
			153	0.108	के आदेश सं०-435/XI-58(2018-19)	1896	0.556
			|	|	दिनांक नई टिहरी जुलाई	1898	0.212
					20-2019 के अनुसार खसरा नं०	1906	0.227
			लगातार	लगातार	531 1643 1771 1801 1810	|	|
			1531	1.176	1.176 0.512 0.286 0.115 0.314	1932	0.346
			1539	0.225	1812 1820 मि० 1825 मि० 1898	2261	0.427
			|	|	1.184 1.428 1.791 0.212	2274	0.385
			1641	0.068	1906 1932 2261 2274 2315 मि०	2315	0.431
			1643	0.512	0.227 0.346 0.427 0.385 0.272	|	|
			1654	0.004	कुल 8.715 हे० भूमि क्षति पूरक वृक्षारोपण		
			|	|	हेतु वन विभाग के नाम दर्ज किया।	6411	0.146
			1763	0.015	(हस्ताक्षर)	6420	0.023
			1771	0.286	वी० एस० बिष्ट राजस्व उपनिरीक्षक	6430	0.564
			1787	0.030	क्षेत्र ढेला	योग 731	75.761
			|	|	तह० घनसाली	असल से तैयार की गई।	
			1801	0.155	जनपद-टिहरी गढ़वाल		
			1803	0.016	30-07-2019	(हस्ताक्षर) रा० उ० नि० ढेला 30.07.2019	
			1810	0.314			

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/96/2015/ एफ0सी0/813 दिनांक 19 जुलाई 2018 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.357है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 घनसाली को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.715है0 सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी घनसाली के पत्र संख्या 2262/1जे0ए0 (विविध–जांच)–2019 दिनांक 28 मार्च 2019 के द्वारा भूमि प्रस्तावित की गयीं है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	याचिका रक्वा (है0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
थार्ती	नैलचामी	10/292	1531	1.176	उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)ङ
			1643	0.512	
			1771	0.286	
			1801	0.155	
			1810	0.314	
			1812	1.184	
			1820म0	1.428	
			1825म0	1.791	
			1898	0.212	
			1906	0.227	
			1932	0.346	
			2261	0.427	
			2274	0.385	
			2315म0	0.272	
योग				8.715	

प्रस्तावित ठेला–थार्ती–चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 2882/XXIII(II)/11–18(120)/ 2010 दिनाँक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या 2365/XXIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XXIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किया गया अर्जित खसरा नंम्बरान मध्ये कुल रक्वा 8.715है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 435/XI–58 (2018–19) दिनाँक, नई टिहरी, जुलाई 20, 2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0 लो0नि0वि0 घनसाली।
7– उप जिलाधिकारी घनसाली।
8– तहसीलदार घनसाली।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with CamScanner